न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–10/2020–21

(उत्पाद थाना कांड सं0–73C3/2020)

राज्य बनाम एस0पी0 चतरा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
21/8/21	**आदेश** प्रस्तुत वाद अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 236/उत्पाद दिनांक 25.06.2020 के द्वारा उत्पाद थाना कांड संख्या–73C3/2020, दिनांक 18.06.2020, धारा–30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक टाटा 407 वाहन निबंधन संख्या–BR48-0178 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया। अवर निरीक्षक उत्पाद, चलिष्णु दल, खगड़िया के प्रतिवेदन दिनांक–23.06.2020 के अनुसार दिनांक–20.06.2020 को सूचना के आधार पर अपने सहयोगी एवं अधीनस्थ के साथ नगर थाना खगड़िया के सहयोग से बलुआही बस स्टैंड एन0एच031 के समीप स्थल पर समय पर घेराबंदी कर वाहन टाटा 407 के डाला से खाली टीन के डिब्बे से ढका हुआ 55 कार्टून में 495.00 लीटर विदेशी शराब जप्त किया गया। छापामार दल को दूर से देखकर वाहन निबंधन संख्या–BR48-0178 का ड्राइवर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। काफी प्रयास के बाबजूद वाहन के ड्राइवर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। काफी प्रयास के बाबजूद वाहन के ड्राइवर को पकड़ा नहीं जा सका। रात होने के कारण स्वतंत्र गवाह नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षकों को गवाह बनाकर सारी कानूनी कार्रवाई घटना स्थल पर सम्पन्न किया गया। मामला बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 की धारा–30(ए) के तहत दंडनीय अपराध है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन एवं व्यक्तियों के विरूद्ध उत्पाद थाना कांड संख्या–73C3/2020 दिनांक 18.06.2020 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। चूँकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद– बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा–58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवैध रूप से शराब के खरीद–बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण–पृच्छा किया गया। विपक्षी को दैनिक समाचार पत्र (दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर) में दिनांक–08.04.2021 को प्रकाशन द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु उसके	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
	बाबजूद विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। अतः वाद के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई किया गया।	

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि विपक्षी इस वाद में नोटिस के बाबजूद उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है तथा अभियोजन के द्वारा किया गया कथन और उनके विरूद्ध गठित आरोप सत्य है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।

Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants** – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.**

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है।

Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.**- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-

(a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :–

(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;

(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढ़ंग से आयात की गयी, ढ़ोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नषीली वस्तु या शराब;

(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो;

(घ) उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन;

(ङ). कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि टाटा 407 के डाला से खाली टीन के डिब्बे से ढका हुआ 55 कार्टून में 495.00 लीटर विदेशी शराब के साथ बरामद किया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। उक्त जप्त टाटा 407 एवं मालिक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई की गयी है तथा टाटा 407 के डाला से खाली टीन के

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

डिब्बे से ढका हुआ 55 कार्टून में 495.00 लीटर विदेशी शराब जो व्यापारिक उदेश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। किन्तु यह देखते हुए कि जप्त वाहन के दावेदार समाचार प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं हुए और वाहन जप्ती के स्थल की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से इंगित करती है कि जप्त वाहन का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये किया जाता था। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:–

1.इस अपराध में प्रयुक्त टाटा 407 वाहन सं0–BR48-0178 जप्त कर उत्पाद थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 (संशोधित अधिनियम– 2018) की धारा– 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।

2.जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे उत्पाद थाना में टाटा 407 वाहन सं0–BR48-0178 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।

3.अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।	24/8/21 अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

ज्ञा० क्रां० 449 दिनांक 24/8/21
प्रतिलिपि - उत्पाद आयुक्त बिहार पटना / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया / जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
24/8
अपर जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया।